

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 जुलाई 2020—श्रावण 9, शक 1942

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2020

फा. क्र.1-2-90-इक्कीस-ब(एक)-1752-2020.—अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित अपर सेशन न्यायाधीश को कॉलम (2) में उल्लिखित जिले के लिए उक्त अधिनियम के अधीन

अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात्:—

सारणी

क्रमांक	जिला	सेशन न्यायालय
(1)	(2)	(3)
"1.	अनूपपुर	श्री कृष्णकांत शर्मा, सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर."

F. No. 1-2-90--XXI-B-(One)-1752-2020.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes

(Prevention of Atrocities), Act, 1989 (No. 33 of 1989), the State Government with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the Additional Sessions Judge mentioned in column (3) as special Judge for districts mentioned in column (2), of the table given below to try the offences under the said Act, namely:—

TABLE

S. No. (1)	Districts (2)	Sessions Court (3)
"1.	Anuppur	Shri Krishnkant Sharma, Sessions Judge, Anuppur."

फा. क्र. 17 (ई) 24-2011-इक्कीस-ब(एक)-1751-2020.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17(ई)24-2011-इक्कीस-ब(एक) 3192-11-1383-12, दिनांक 23 अप्रैल 2012 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, श्री सुशील कुमार (जूनि.) तेरहवें अपर सेशन न्यायाधीश, भोपाल को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन आने वाले मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम से संबंधित मामलों के विचारण के लिये विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है।

F. No. 17 (E) 24-2011-XXI-B(One)-1751-2020.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), and in supersession of this department's Notification F. No. 17 (E) 24-2011-XXI-B(One)-3192-11-1383-12, dated 23rd April 2012, the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints Shri Sushil Kumar (Jr.) XIII Additional Sessions Judge Bhopal as Special Judge for the trial of cases related to Madhya Pradesh

State Industrial Development Corporation falling under the said Act.

फा. क्र. 17(ई)43-2009-इक्कीस-ब(एक)1149-2020-शुद्धि-पत्र.—राज्य शासन, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17(ई)43-2009-इक्कीस-ब(एक)-206-2020, दिनांक 5 फरवरी 2020 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1, दिनांक 21 फरवरी 2020 को प्रकाशित हुई थी, के संबंध में निम्नलिखित शुद्धि-पत्र जारी करता है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, कॉलम (2) में, अनुक्रमांक 62 के सामने अंक तथा शब्द "द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1" स्थापित किए जाएं।

F. No. 17 (E)-43-2009-XXI-B-(One) 1149-2020-CORRIGENDUM—The State Government hereby, issue the following Corrigendum in respect of this department's Notification F. No. 17(E)-43-2009-XXI-B(One)-206-2020, dated 5th February, 2020, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part 1, dated 21st February, 2020, namely:—

In the said Notification, in the Schedule, in column (2), against serial number 62, for the figure and words "IInd Civil Judge, Class-1" the figure and words "IIIRD Civil judge, Class-1" shall be substituted.

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2020

फा. क्र. 1978-2020-इक्कीस ब(एक).—राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्रीमती साहिबा फिरदौस, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सागर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज), सागर ख

का व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, के पद से त्याग-पत्र दिनांक 22 जुलाई 2020 के दोपहर पश्चात् से स्वीकृत करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2020

फा. क्र. 1979-2020-इक्कीस-ब(एक).—उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री उमेश चन्द्र मिश्र, तत्कालीन अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बैदण जिला सिंगरौली वर्तमान पदस्थापना (निलंबन अवधि) मुख्यालय, नरसिंहपुर के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच के निष्कर्षों के आधार पर उनके विरुद्ध कदाचरण के आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की माननीय प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 10 जुलाई 2020 एवं फुलकोर्ट (by circulation) द्वारा उक्त न्यायिक अधिकारी को अनिवार्य सेवानिवृत्त (Compulsory Retirement) किये जाने की अनुशंसा की गई है।

उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरान्त उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री उमेश चन्द्र मिश्र, वर्तमान पदस्थापना (निलंबन अवधि) मुख्यालय, नरसिंहपुर तत्कालीन अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बैदण जिला सिंगरौली को अनिवार्य सेवानिवृत्त (Compulsory Retirement) किया जाए।

अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील), नियम 1966 के नियम 10 (VII) के अन्तर्गत दीर्घशास्ति अधिरोपित करते हुए एतद्वारा राज्य शासन श्री उमेश चन्द्र मिश्र, वर्तमान पदस्थापना (निलंबन अवधि) मुख्यालय, नरसिंहपुर तत्कालीन अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बैदण जिला सिंगरौली को तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्त (Compulsory Retirement) करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नेशचन्द्र सिंह बिसेन, सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2020

प्रति,

श्री रहसबिहारी गुप्ता,
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सिंगरौली.

विषय : मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा-शर्तों) नियम, 2017 के नियम 14(1) (a) व (b) तथा अन्य समर्थकारी उपबंधों के अन्तर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्त करने बावत्.

फा. क्र. 1972-2020-इक्कीस-ब(एक).—उपरोक्त विषयान्तर्गत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने अनुशंसा की है कि आपके द्वारा 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त, आपको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाए.

आप 58 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं।

उच्च न्यायालय की ओर से प्रेषित सेवा संबंधी अभिलेख तथा अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करने तथा उस पर समग्र रूप से विचार करने के उपरान्त राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि उच्च न्यायालय के परामर्श को मान्य किया जाकर आपको लिखित सूचना देकर सेवानिवृत्त किया जाए.

अतएव मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा-शर्तों) नियम, 2017 के नियम 14(1) (a) व (b) तथा अन्य समर्थकारी उपबंधों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्वारा आपको इस आदेश की सूचना प्राप्ति के दिनांक के अपराह से तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत्त करता है।

आपको तीन माह की कालावधि की सूचना के विकल्प में तीन माह के वेतन एवं भत्ते की राशि उसी दर से देय होगी जो आप सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व प्राप्त कर रहे थे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नेशचन्द्र सिंह बिसेन, सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2020

क्रमांक एफ 15-8/2020/दस-2 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा-34(अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा यह घोषणा करती है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया वनक्षेत्र, जिसे इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 79-X/58 दिनांक 10 जुलाई 1958 द्वारा संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से संरक्षित वन नहीं रहेगा तथा यह भूमि राजस्व विभाग को हस्तान्तरित मानी जायेगी।

अनुसूची

जिला :- होशंगाबाद

वनमंडल :- होशंगाबाद

तहसील - इटारसी

वन परिक्षेत्र- सुखतवा

अ. क्र.	वन परिसर का नाम	वनखण्ड का नाम	वन कक्ष का क्रमांक	क्षेत्रफल (हे.मे.) जो संरक्षित वन नहीं रहेगा	संरक्षित वन नहीं रहने का कारण	संरक्षित वन नहीं रहने वाले क्षेत्र की सीमायें
1		2	3	4	5	6
1.	कालाआखर	पूर्वी कालाआखर	(पुराना) कक्ष क्र. पी.एफ.-13 (नया) कक्ष क्र पी.एफ-87	169.281	भारत सरकार की स्वीकृति क्रमांक F.No. 8-76/2004-FC दिनांक 08 मई, 2015 के अनुक्रम में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञाप F.No. 8-34/2017-FC दिनांक 20.05.2019 से वनभूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तित करने के निर्देश के पालन में सतपुड़ा टाईगर रिजर्व से विस्थापित कर बसाये गये स्थल की वनभूमि का निर्वनीकरण।	उत्तर सीमा - कृत्रिम लाइन संरक्षित वन वनखण्ड पूर्वी कालाआखर के गुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 17 तक। राजस्व ग्राम कालाआखर पूर्व सीमा -संरक्षित वन वनखण्ड पूर्वी कालाआखर के मुनारा क्रमांक 17 से आरक्षित वनखण्ड कासदा के मुनारा क्रमांक 18 एवं मुनारा क्रमांक 11 तक। आरक्षित वनखण्ड कासदा। दक्षिण एवं पश्चिम सीमा -मुम्बई-इटारसी रेलवे लाइन मुनारा क्रमांक 11 से मुनारा क्रमांक 1 तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एच. एस. मोहन्ता, सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2020

क्र. एफ-15-8-2020-दस-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-8-2020-दस-2, दिनांक 22 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. एस. मोहन्ता, सचिव.

Bhopal, the 22nd July 2020

No. F 15-8/2020/X-2.— In Exercise of powers conferred by Section 34(A) of the Indian Forest Act, 1927 (No.XVI of 1927) the State Government hereby declares that the Forest area as specified in the Schedule below, which was declared as Protected Forest by the Notification Number/ 9-X/58 Dated 10 July 1958 of Madhya Pradesh Forest Department, will cease to be Protected Forest with effect from the date of publication of this notification in Madhya Pradesh Gazette and this land shall stand transferred to the Revenue Department;—

SCHEDULE

District :- Hoshangabad

Tehsil :- Itarsi

Forest Division :- Hoshangabad

Forest Range - Shukhatwa

S. N.	Forest Beat	Forest Block	Forest Compartment Number	Area ceases to be Protected Forest (Hactare)	Brief description of reasons for ceasing Protected Forest	Boundaries of Forest land ceased to be Protected Forest
1.	Kalaakhar	East Kalaakhar	(Old)PF Compartment No. -13 (New)PF Compartment No. -87	169.281	The denotification of the Forest land diverted for rehabilitation of village from Satpuda Tiger Reserve vide Government of India Sanction letter no. F.No.8-76/2004-FC date 08 May 2015 and the direction given by Government of India Ministry Enviroment, Forest and Climate Change New Dehli vide letter no. F.No.8-34/2017-FC Date 20.05.2019 to change the status of forest land into revenue land.	North:- Artificial Cut line boundary of Protected Forest East Kalaakhar from Pillar no. 1 to 17 and Revenue village Kalaakhar. East:- Artificial cut line from Protected Forest Block East Kalaakhar Pillar no.17 to Pillar no. 18 of Resevered Forest Block Kasada and Pillar no. 18 to 11 Resevered Forest Block Kasada. South and West:- Railway line Mumbai to Itarsi from Pillar no. 11 to 1.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
H. S. MOHANTA, Secy.

कार्यालय

म. प्र. असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल

ई-ब्लॉक पुराना सचिवालय, भोपाल

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

Bhopal, the 23rd July 2020

S.o. 722 (E).— Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove ones identity:

And whereas, the [Labour department] (hereinafter referred to as the Department), is administering the [Mukhyamantri Jankalyan (Sambal) Yojana] (hereinafter referred to as the Scheme) to [State Government is registering eligible unorganized workers for providing various benefits under various schemes] which is being implemented through the [NIC, Bhopal](hereinafter referred to as the Implementing Agency (ies)):

And whereas, under the Scheme, [benefits under various Schemes are provided through DBT Mode to the eligible nominee/ workers] (hereinafter referred to as the benefit) is given to the [State Government is providing various benefits to eligible registered unorganized workers] (hereinafter referred to as the beneficiary), by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines;

"Andwhereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of [MP state]:

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Deliveryof Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the government of [MP state] hereby notifies the following. Namely. -

1. (1). An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the

Said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016. The Department through. Its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Tehsil the Department through its Implementing

Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in Coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual subject to the production of the following documents, namely -

- (a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and
- (b) any one of the following documents, namely
 - (i) Bank or Post office Passbook with Photo: or
 - (ii) Permanent Account Number (PAN) Card: or
 - (iii) Passport or
 - (iv) Ration Card
 - (v) Voter Identity Card, or
 - (vi) MGNREGA card or
 - (vii) Kisan Photo passbook. or
 - (viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act. 1988 (59 of 1988): or
 - (ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted officer or a Tehsildar on an official letterhead: or
 - (x) any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose

2 In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme Conveniently, the Department through its implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the Beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner.

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhar One Time Password or Time-based On Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered:

(C) in, all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response (QR) code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of QR code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. In addition to the above, in order to ensure that no bona fide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of DBT Mission, Cabinet Secretariat, Government of India dated 19th December 2017.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

CHHOTAY SINGH, Dy. Secy.

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल
R-23, चित्तौड काम्पलेक्स, जोन-01, एम. पी. नगर, भोपाल

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

Bhopal, the 23rd July 2020

s.o 3448 (E). - Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove ones identity:

And whereas, the [Labour department] (hereinafter referred to as the Department), is administering the [MP Building & Other Construction Worker's Welfare Schemes] (hereinafter referred to as the Scheme) to [M.P Building & Other Construction Worker Welfare Board is registering eligible construction workers for providing various benefits under various schemes] which is being implemented through the [NIC, Bhopal](hereinafter referred to as the Implementing Agency (ies)): -

And whereas, under the Scheme, [benefits under various Schemes are provided through DBT Mode to the eligible nominee/ workers] (hereinafter referred to as the benefit) is given to the [M.P Building & Other Construction Worker Welfare Board is providing various benefits to eligible registered construction workers] (hereinafter referred to as the beneficiary), by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines;

"Andwhereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of [M.P Building & Other Construction Worker Welfare Board]

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Deliveryof Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the [M.P Building & Other Construction Worker Welfare Board] hereby notifies the following Namely. -

1. (1). An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
- (2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the

Said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016. The Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Tehsil the Department through its Implementing

Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in Coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual subject to the production of the following documents, namely -

- (a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and
- (b) any one of the following documents, namely
 - (i) Bank or Post office Passbook with Photo: or
 - (ii) Permanent Account Number (PAN) Card: or
 - (iii) Passport or
 - (iv) Ration Card
 - (v) Voter Identity Card, or
 - (vi) MGNREGA card or
 - (vii) Kisan Photo passbook. or
 - (viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act. 1988 (59 of 1988): or
 - (ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted officer or a Tehsildar on an official letterhead: or
 - (x) any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose

2 In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme Conveniently, the Department through its implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the Beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner.

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhar One Time Password or Time-based On Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered:

(C) in, all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response (QR) code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of QR code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. In addition to the above, in order to ensure that no bona fide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of DBT Mission, Cabinet Secretariat, Government of India dated 19th December 2017.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

CHHOTAY SINGH, Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 3281-भू-अर्जन-0002-अ-82-2019-20

बालाघाट, दिनांक 26 जून 2020

सार्वजनिक सूचना (अंतर्गत आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका-11(1))

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवंबर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि कय नीति अनुसार, 36 वी विशेष भारत रक्षित वाहिनी बिसबल बालाघाट को भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ग्राम कनकी के विभिन्न कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारको की सहमति से भूमि कय करने का विचार किया जा रहा है:-

ग्राम का नाम	स. क्रं.	खातेदार का नाम	सर्वे नं.	कुल रकबा	कय हेतु प्रस्तावित रकबा हे. में	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
कनकी	1	विजेन्द्रसिंह पिता गेंदसिंह	723/12/1 719/3	0.506 0.281	0.506 0.281	36 वी विशेष भारत वाहिनी बिसबल बालाघाट हेतु ग्राम कनकी में भूमि का अधिग्रहण
	2	प्रीति पिता गेंदसिंह	723/12/2 719/4	0.506 0.281	0.506 0.281	
	3.	हिम्मतसिंह पिता रुद्धेलाल	723/9/1	0.203	0.203	
	4	परमिला पिता रुद्धेलाल	723/9/2	0.202	0.202	
	5	उरमिला पिता रुद्धेलाल	723/9/3	0.202	0.202	
	6	सुशीला पिता रुद्धेलाल	723/9/4	0.202	0.202	
	7	रेखा पिता रुद्धेलाल	723/9/5	0.202	0.202	
	8	फुलाबाई पिता सुददे	723/8/1	0.255	0.255	
	9	सुखराम पिता सुददे	723/8/2	0.252	0.252	
	10	राहुल पिता सुददे	723/8/3	0.252	0.252	
	11	संतोष पिता रामलाल	723/8/4	0.084	0.084	
	12	दुर्गा पिता रामलाल	723/8/5	0.084	0.084	
	13	नेहा पिता रामलाल	723/8/6	0.084	0.084	
	14	माहरनबाई पति मोहन	723/7/1	0.255	0.255	
	15	संतोष पिता मोहन	723/7/2	0.252	0.252	
	16	कुसुम पिता मोहन	723/7/3	0.252	0.252	
	17	धनवंती पिता मोहन	723/7/4	0.252	0.252	
	18	देवराम पिता मोतीराम	723/6/1	0.168	0.168	
	19	पंचशीला पिता मोतीराम	723/6/2	0.169	0.169	
	20	कला पिता मोतीराम	723/6/3	0.169	0.169	
	21	हिरकन पिता मुका	723/6/4	0.505	0.505	
	22	तिलकराम पिता मदारी	723/5/1	0.337	0.337	
	23	हरचंद पिता मंगरू	723/5/2	0.337	0.337	
	24	हरि पिता मंगरू	723/5/3	0.337	0.337	

25	पारबती पति बाडू	723/4/1	0.337	0.337
26	रूपसिंह पिता बाडू	723/4/2	0.337	0.337
27	सुनीता पिता बाडू	723/4/3	0.337	0.337
28	रामबती पति रामसिंह	723/3/1	0.505	0.505
29	ललिता पिता इशाराम	723/3/2	0.127	0.127
30	पुरनलाल पिता इशाराम	723/3/3	0.127	0.127
31	सुरेश पिता इशाराम	723/3/4	0.126	0.126
32	नरेश पिता इशाराम	723/3/5	0.126	0.126
33	संतोष पिता जगतलाल	703/2/1 703/3/2	0.027 0.004	0.027 0.004
34	राजेन्द्र पिता जगतलाल	703/2/2 703/3/3	0.027 0.004	0.027 0.004
35	खिलेन्द्र पिता जगतलाल	703/2/3 703/3/5	0.027 0.004	0.027 0.004
36	डोलेन्द्र पिता जगतलाल	703/2/4 703/3/4	0.027 0.004	0.027 0.004
37	कृष्णा पिता जगतलाल	703/2/5 703/3/6	0.027 0.006	0.027 0.006
38	ओमकार पिता डुकरया	714/1/1 714/3/1 714/4/1 718/3/3	0.117 0.081 0.081 0.106	0.117 0.081 0.081 0.106
39	ओमप्रकाश पिता डुकरया	714/1/2 714/3/2 714/4/2 718/4 720/1	0.117 0.081 0.081 0.106 0.083	0.117 0.081 0.081 0.106 0.083
40	मोहन पिता मेहतर	715/2/1	0.279	0.279
41	ज्ञानवती पति कमलसिंह	715/2/2 715/4/1-716/4/1 714/2 715/5-716/5 716/7	0.247 0.031 0.202 0.717 0.113	0.247 0.031 0.202 0.717 0.113
42	रंगलाल पिता कन्हैया	715/4/2-716/4/2 716/1/क/1-716/6/1	0.056 0.223	0.056 0.223
43	अनुरता पति मदन वगैरह	716/1/क/2-716/6/2	0.279	0.279
44	पुरवता पिता मेहतर	715/4/3-716/4/3	0.278	0.278
45	ओमबती पति सोहन वगैरह	716/1/क/3-716/6/3	0.279	0.279
46	उर्मिला पिता मंगल	717/1 715/6 716/1ख-716/8	0.056 0.198 0.028	0.056 0.198 0.028
47	परमिला पिता मंगल	717/2	0.056	0.056
48	शीला पिता मंगल	717/4	0.056	0.056
49	किरण उर्फ रोशनी पिता मंगल	717/5	0.056	0.056
50	रामबती पति मंगल	717/6	0.056	0.056

51	गेंदलाल पिता सकरया	718/1	0.324	0.324
52	सरवन पिता जेठया	718/2	0.324	0.324
53	संतोष पिता पित्तमलाल	722/1	0.214	0.214
54	अशोक पिता पित्तमलाल	722/2	0.214	0.214
55	दशोदा पिता पित्तमलाल	722/3	0.214	0.214
56	देवकी पिता पित्तमलाल	722/4	0.214	0.214
57	बसंती पति पित्तमलाल	722/5	0.215	0.215
58	बसंती पिता डुकरया	720/2	0.106	0.106
59	दयावंती उर्फ सुशीला पिता डुकरया	720/3 722/6	0.054 0.052	0.054 0.052
60	राजकुमार पिता यशवंत	397/1/1	0.002	0.002
61	अनवर पिता यशवंत	397/1/2	0.002	0.002
62	कमलेश पिता यशवंत	397/1/3	0.002	0.002
63	अंजनी पिता यशवंत	397/1/4	0.004	0.004
64	रामकली पिता सुखराम	397/1/5	0.006	0.006
65	मालती पति मदनलाल वगैरह	397/1/7	0.002	0.002
66	रामाजी पिता नंदलाल	703/3/1 397/4	0.026 0.304	0.026 0.304
67	सकून पति जगतलाल	703/3/7	0.004	0.004
68	अंतराम पिता मेहतर	703/1	0.154	0.154
69	धुरपता पिता माहरू	723/10	1.011	1.011
70	झिगरी विधवा घुडू	723/14	1.011	1.011
71	खेमनबाई पिता दादू	723/11	1.011	1.011
72	धुरपति पति धरमदास	713/6/1	0.337	0.337
73	ताराचंद पिता मोहपत	713/6/2	0.337	0.337
74	जैवंता पति मोहपत	713/7/1	0.337	0.337
75	शिवराम पिता मोहपत	713/7/2	0.337	0.337
76	ज्योति पिता धरमदास	713/6/3	0.337	0.337
77	रेवन्ता पति लक्ष्मीचंद	713/7/3	0.337	0.337
78	मखन पिता रामकिसन	713/13/1	0.168	0.168
79	अनिता पिता रामकिसन	723/13/2	0.169	0.169
80	जयकिसन पिता दमडू	723/13/3	0.168	0.168
81	रामेश्वर पिता दमडू	723/13/4	0.169	0.169
82	दामेश्वर पिता दमडू	723/13/5	0.169	0.169
83	मनमत पिता दमडू	723/13/6	0.169	0.169
84	सुखलाल पिता भीका	719/1 721/1	0.134 0.241	0.134 0.241
85	बिरजाबाई पति मूलचंद	721/2	0.096	0.096
86	यादोराव पिता मूलचंद	721/3	0.093	0.093
87	किरण पिता मूलचंद	721/4	0.093	0.093
88	पुस्तकला पिता मूलचंद	721/5	0.093	0.093
89	रामकली पिता लकस्या	721/6	0.125	0.125
90	मुन्नीबाई पिता लकस्या	721/7	0.125	0.125
91	महती पति भाया	719/2	0.562	0.562
92	चंद्रकला पिता मेहतर	721/8	0.042	0.042
93	किरणकुमार पिता मेहतर	721/9	0.041	0.041
94	फुलवंती पति मेहतर	721/10	0.042	0.042
योग- 94 कृषक			22.979	22.979

उपरोक्तानुसार कय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों हित व उस पर स्थित मकान /नलकूप/तालाब/वृक्ष आदि के संबंध में दावा/आपत्ति प्रस्तुत करनाहै तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के पंद्रह दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद कोई दावा आपत्तियों मान्य नहीं की जावेगी ।

दीपक आर्य, कलेक्टर.

कार्यालय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल, मध्यप्रदेश

शहडोल, दिनांक 15 जुलाई 2020

क्र. 24-कु. न्याया.-2018.—माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के आदेश क्रमांक ए-988-चार-8-42-77, भाग-सोलह, जबलपुर, दिनांक 18 मई 2020 में दिये गये निर्देशानुसार मैं, डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल का दिनांक 3 से 5 जुलाई 2020 तक, कुल तीन दिवस का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 6 से 10 जुलाई 2020 तक, कुल पांच दिवस कम्प्यूटेड अवकाश मय मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित स्वीकृत करता हूँ:—

- (1) अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को पुनः पदस्थापित किया जाता है।
- (2) अर्जित/कम्प्यूटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रमेश साहू, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय.

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2020

क्र. एफ-1-1-20-रा.स.-यू.ए.1-787.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है :—

- | | | | |
|----|---|------------------|--|
| 1. | प्रो. अशोक कुमार ग्वाल,
पूर्व कुलपति,
(रवीन्द्र नाथ टैगौर विश्वविद्यालय),
भोपाल (म. प्र.). | समिति के अध्यक्ष | कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित |
| 2. | प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल. | समिति के सदस्य | राज्य सरकार द्वारा नामांकित |
| 3. | प्रो. जे. एस. राजपूत,
(पूर्व अध्यक्ष, एन. सी. टी. ई.)
ग्रेटर नोयडा (उ. प्र.). | समिति के सदस्य | अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान
आयोग द्वारा नामांकित. |

2. कुलाधिपतिजी के द्वारा प्रो. अशोक कुमार ग्वाल, पूर्व कुलपति को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

3. समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी।

4. समिति पैनल तैयार करने में कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3279-2019-रास-यू.ए.-1, दिनांक 5 दिसम्बर 2019 के द्वारा जारी मार्गदर्शिका (छायाप्रति संलग्न) में वर्णित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही संपन्न करेगी।

कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के आदेशानुसार,
मनोहर दुबे, राज्यपाल के सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 20 जुलाई 2020

प्र. क्र. 09-अ-82-2017-18.—राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरान्त पाया गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है इस आशय की धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 5 जुलाई 2019 को कराया गया था. माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 22 मार्च 2020 का जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया था. तथा इसके पश्चात् भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 24 मार्च से 17 मई 2020 तक का लॉकडाउन घोषित किया गया था. इस कारण प्रकरण में अवाई पारित किये जाने की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी. इन परिस्थितियों में विहित समय सीमा एक वर्ष में अवाई पारित नहीं किया जा सका है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन अवाई पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:—

अनुसूची (1)

भूमि का वर्णन				सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजगढ़	नरसिंहगढ़	गडपुरा	52.343	पार्वती परियोजना अन्तर्गत डूब में प्रभावित भूमि हेतु अर्जन.
कुल योग . .			52.343	

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 08-अ-82-2017-18.—राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरान्त पाया गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है इस आशय की धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 14 जून 2019 को कराया गया था. माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 22 मार्च 2020 का जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया था. तथा इसके पश्चात् भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 24 मार्च से 17 मई 2020 तक का लॉकडाउन घोषित किया गया था. इस कारण प्रकरण में अवाई पारित किये जाने की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी. इन परिस्थितियों में विहित समय सीमा एक वर्ष में अवाई पारित नहीं किया जा सका है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन अवाई पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:—

अनुसूची (1)

भूमि का वर्णन				सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजगढ़	नरसिंहगढ़	गेंहूखेडी कलां	7.360	पार्वती परियोजना अन्तर्गत डूब में प्रभावित भूमि हेतु अर्जन.
कुल योग . .			7.360	

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 12-अ-82-2017-18.—राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरान्त पाया गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है इस आशय की धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 7 जून 2019 को कराया गया था. माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 22 मार्च 2020 का जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया था. तथा इसके पश्चात् भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 24 मार्च से 17 मई 2020 तक का लॉकडाउन घोषित किया गया था. इस कारण प्रकरण में अवाई पारित किये जाने की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी. इन परिस्थितियों में विहित समय सीमा एक वर्ष में अवाई पारित नहीं किया जा सका है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन अवाई पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है.

अनुसूची (1)

भूमि का वर्णन				सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजगढ़	नरसिंहगढ़	शिवपुरा जागीर	15.229	पार्वती परियोजना अन्तर्गत डूब में प्रभावित भूमि हेतु अर्जन.
कुल योग . .			15.229	

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 21-अ-82-2017-18.—राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरान्त पाया गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है इस आशय की धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 5 जुलाई 2019 को कराया गया था. माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 22 मार्च 2020 का जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया था. तथा इसके पश्चात् भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 24 मार्च से 17 मई 2020 तक का लॉकडाउन घोषित किया गया था. इस कारण प्रकरण में अवाई पारित किये जाने की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी. इन परिस्थितियों में विहित समय सीमा एक वर्ष में अवाई पारित नहीं किया जा सका है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन अवाई पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है.

अनुसूची (1)

भूमि का वर्णन				सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजगढ़	नरसिंहगढ़	सूण्डी	85.041	पार्वती परियोजना अन्तर्गत डूब में प्रभावित भूमि हेतु अर्जन.
कुल योग . .			85.041	

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजगढ़, दिनांक 21 जुलाई 2020

प्र. क्र. 15-अ-82-2017-18.—राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरान्त पाया गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है इस आशय की धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 5 जुलाई 2019 को कराया गया था. माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 22 मार्च 2020 का जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया था. तथा इसके पश्चात् भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 24 मार्च से 17 मई 2020 तक का लॉकडाउन घोषित किया गया था. इस कारण प्रकरण में अवाई पारित किये जाने की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी. इन परिस्थितियों में विहित समय सीमा एक वर्ष में अवाई पारित नहीं किया जा सका है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन अवाई पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है.

अनुसूची (1)

भूमि का वर्णन				सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजगढ़	नरसिंहगढ़	बरोडी	24.043	पार्वती परियोजना अन्तर्गत डूब में प्रभावित भूमि हेतु अर्जन.
कुल योग . .			24.043	

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. 0003-अ-82-2020-21-5375

श्योपुर, दिनांक 12 जून 2020

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत)

जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (चम्बल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना निर्माण हेतु) के लिये ग्राम तुलसेफ तहसील व जिला श्योपुर में कुल रकवा 3.068 हेक्टर अशासकीय भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।

अतः जिला -श्योपुर तहसील श्योपुर के ग्राम तुलसेफ प.ह.न 54 रा.नि. वृत् 02 में उक्त परियोजना के लिये 3.068 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

क.	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल (हेक्ट.में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता (राजस्व अभिलेखानुसार)
1	2	3	4	5	6
1	173/877/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.075	महावीर पुत्र बजरंगलाल जाति बैरागी निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 16.47
2	115/865/7	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.036	पन्नालाल, शम्भूदयाल, शंकरलाल रघुवीर प्रसाद पुत्रगण श्रीया जाति नाई निवासी ग्राम बद्रीबाई भगोती छोरी चामना पुत्रिया श्रीया जाति नाई स.भा.भूमिस्वामी भूरा.7.50
3	117/2/878 /1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.181	कमलकिशोर पुत्र रामनिवास जाति मीना निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 14.88
4	486 मिन 2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.202	दाखाबाई बेवा सुग्रीव, पवन पुत्र सुग्रीव कविता पुत्री सुग्रीव मीणा समान भाग निवासी ग्राम भूमिस्वामी भूराजस्व 15.58
5	485	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.069	पुरुषोत्तम पुत्र हजारीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम भूमिस्वामी भूरा. 41.75
6	465/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.012	कैलाश पुत्र फल्लू जाति बैरवा नि.ग्रा. दुकाल्याखेडा भूमिस्वामी भूराजस्व 1.70
7	463/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.112	सियाराम पुत्र हजारी जाति मीणा निवासी ग्राम तुलसेफ भूमिस्वामी भूराजस्व 16.00
8	463/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.112	प्रभू पुत्र हजारी जाति मीणा निवासी ग्राम

					तुलसेफ भूमिस्वामी भूराजस्व 16.00
9	169/873/1 /1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.054	जयराम पुत्र रामनिवास जाति मीणा निवासी ग्राम भूमिस्वामी
10	169/873/ख T	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.054	काशीराम पुत्र रामनिवास जाति मीणा नि. ग्रा. भूमिस्वामी भू. राजस्व 755/2 के अनुसार
11	169/873/ग	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.054	मु. तुलसा बेवा रामनिवास, रामलक्ष्मी, रामकन्या, प्रकाशी पुत्रियां रामनिवास जाति मीणा भूमिस्वामी भूरा- शा- 755/2
12	141/854	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.033	रामप्रसाद, गोपाल पुत्रगण नारायण जाति मीणा नि. ग्रा. हिरनीखेडा समान भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 4. 62
13	148/861	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.041	रामस्वरूप पुत्र जगन्नाथ पुत्र भीमराज निवासी ग्राम हिरनीखेडा भूमिस्वामी भूराजस्व 3.38
14	147/860	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.153	रामस्वरूप पुत्र जगन्नाथ निवासी ग्राम हिरनीखेडा भूमिस्वामी भूराजस्व 12.57
15	146/859	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.089	गोपीलाल, प्रकाश पुत्रगण छीत्या जाति बैरवा निवासी ग्राम भूमिस्वामी भ.रा. 30.50
16	150/863	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.096	डंडोबाई बेवा हरजी देवीराम, जगदीश पुत्रगण हरजी प्रेमबाई कमली पुत्रियां हरजी जाति मीणा निवासी ग्राम हिरनीखेडा भूमिस्वामी भू.रा. 22.60
17	375/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.064	रामसिया पुत्री रामपसंद जाति मीणा निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू.रा. 1.30
18	376/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.077	सत्यनारायण पुत्र गुणेश्या जाति खाती नि.ग्रा. भूमिस्वामी भू.रा. 8.00
19	378	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.031	सुरज्या पुत्र मोती जाति मीणा नि.ग्रा. भूमिस्वामी भू.रा. शा.196
20	377मि.1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.038	रामभरत पुत्र शम्भूदयाल जाति मीणा निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू. रा. 7.00
21	426	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.094	शम्भू पुत्र नारायण गीताबाई पुत्री नारायण जगगीबाई बेवा नारायण जाति मीणा निवासी ग्राम स.भ. भूमिस्वामी भू.रा. शा.284
22	429/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.027	महावीर पुत्र बजरंगलाल जाति मीणा निवासी ग्राम तुलसेफ भूमिस्वामी भूराजस्व 8.70
23	428	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.032	मांगीलाल पुत्र शम्भूलाल जाति मीणा नि.ग्रा. भूमिस्वामी भ. रा. शा.237

24	425	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.100	रामपति बेवा महावीर ,गिरिज, गोल् पुत्रगण महावीर राधे श्यामकिला पुत्रियां महावीर जाति मीणा नि.ग्र. भूमिस्वामी भू.रा. शा.17/2
25	418	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.114	रूपसिंह,दीनदयाल, पुत्रगण चतरू जाति मीणा निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू.रा. 12.13
26	598	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.142	रामस्वरूप पुत्र कल्याण बजांगी पुत्री कल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू.रा. शा.154
27	602मिन 1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.064	धनपाल पुत्र माधौ जाति मीणा निवासी ग्राम स. भ. भूमिस्वामी भू.रा. शा.261
28	597 / 1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.011	प्रेमशंकर पुत्र मंशाराम जाति मीणा निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू.रा. शा.534
29	603 / 1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.068	माणकचंद पुत्र सीताराम जाति मीणा नि.ग्राम भूमिस्वामी भू.रा. 8.52
30	604 क	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.042	माणकचंद पुत्र सीताराम जाति मीणा नि.ग्राम भूमिस्वामी भू.रा.1.00
31	603 / 2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.068	बनवारी पुत्र सीताराम जाति मीणा नि.ग्राम भूमिस्वामी भू.रा.8.52
32	612	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.216	मोहनलाल पुत्र बद्धीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू.रा. शा. 467
33	613	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.008	सियाराम पुत्र बजरंगलाल जाति मीणा निवासी ग्राम तुलसेफ भूमिस्वामी भू.रा.जस्व शा. 259/1
34	611	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.020	रवीशंकर पुत्र मंशा जाति मीणा नि.ग्र. भूमिस्वामी हिस्सा 1.233 हनुमान पुत्र मोहनलाल जाति मीणा हि 0.366 भूमिस्वामी भू.रा. शा. 261
35	694	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.044	दुलीचंद रामवलवान पुत्रगण काडू जाति मीणा निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू.रा. शा 5.00
36	695	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.105	दुलीचंद रामवलवान पुत्रगण काडू जाति मीणा निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू.रा. शा 618
37	645	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.055	कैलाश, रामविलास, मलखान पुत्रगण गेंदया कमली,रामसिया पुत्री गेंदया जाति मीणा निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू.रा. शा.133
38	646	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.089	रामस्वरूप पुत्र परसराम जाति मीणा निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू.रा. 1.46

39	644	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.116	राजेन्द्र पुत्र शंभूसी जाति मीणा नि.ग्रा. भूमिस्वामी भू.रा. शा. 80 मिन 2
40	107/879	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.033	सीताराम पुत्र मथुरा कल्याणी पुत्री मथुरा जाति बैरवा नि.ग्राम भूमिस्वामी भू.राजस्व 2.50
41	108/880	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.036	कल्याण पुत्र बट्टी जाति मीणा निवासी हिरनीखेडा रामलीला बेवा रामसिंह जाति मीणा स.भा. भूमिस्वामी भू.रा. 18.35
42	140/803	शा.पट्टे से भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.00	मइइलाल ,रामस्वरूप पुत्रगण शंकरया शान्ती पुत्री शंकरिया जाति बैरवा नि.ग्रा. शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी भू.रा.2.25
कुल किता 42				3.068	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्योपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, कय/विकय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किये जा सकेंगे ।

विशेष— धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

प्र. क्र. 0004-अ-82-2020-21-5377

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत)

जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (चम्बल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना निर्माण) के लिये ग्राम रामगावडी तहसील व जिला श्योपुर में कुल रकवा 0.340 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।

अतः जिला -श्योपुर तहसील श्योपुर के ग्राम रामगावडी प.ह.न 55 रा.नि. वृत्त 02 में उक्त परियोजना के लिये 0.340 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है।

क.	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का रकवा	हितवद्द व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	336	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.076	गोवरिया पुत्र घोरया पांचो पुत्री घोरया जाति बेरवा निवासी ग्राम समान भाग भूदान भूमिस्वामी विक्रय से वर्जित 14.50
2	338	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.095	हरीमोहन पुत्र मायाराम जाति मीना निवासी ग्राम लोड भूमि स्वामी भू-राजस्व 19.40
3	339	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.169	नागाराम पुत्र चतरूलाल जाति मीना निवासी ग्राम लूंड भूमिस्वामी भू-राजस्व 38.07
कुल किता-03				0.340 हेक्टेयर	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्योपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, कय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किये जा सकेंगे ।

विशेष- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

राकेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रा.प्र. क्रमांक-01,02,03-अ-82-2020-2021

छिन्दवाड़ा, दिनांक 27 जून 2020

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति"(Consent Land Purchase Policy) के तहत खापरकलां जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म0प्र0 शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में खापरकलां जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—:अनुसूची:—

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है ।
1	2	3	4	5	6	7
छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव	ग्राम- कोरपानीकलां प0ह0न0-72, ब0न0-195, रा0नि0म0- नवेगांव	1. सोमू पुत्र मानक, शोभा, फूलन, झूलन पुत्रगण भंगी, मंदा बेवा शंकर, रमेश पुत्र शंकर, किरन ना0बा. करीना ना0बा0 पुत्रियां शंकर पा0मां मंदा जाति गोंड निवासी ग्राम भूमि	59/2	0.822	खापरकलां जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये।

		ग्राम— घानाउमरी, प0ह0न0—68, ब0न0—144, रा0नि0म0— नवेगांव	स्वामी— कोरपानीकलां 2. श्यामलाल पिता जयराम जाति गोंड निवासी ग्राम भूमि स्वामी—घानाउमरी	295/1 में से	0.160	
		ग्राम— घानाउमरी, प0ह0न0—68, ब0न0—144, रा0नि0म0— नवेगांव	3. कलिया पति श्यामलाल जाति गोंड निवासी ग्राम भूमि स्वामी—घानाउमरी	295/1 में से	0.240	
		कुल योग		3	01.222 हेक्टेयर	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है।

क्रमांक 3189-भू-अर्जन-2020

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है

2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ 22 ए/101/2016/एम0पी0एरा0/31/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-धनौरा प0ह0न-02 ब.न.-135 रा.नि.म.- चौरई	रकबा- 01.100 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा	पंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत डूब प्रभावित ग्राम के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक-02 सिंगना, तहसील चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

रा.प्र. क्रमांक 12-अ-82-2017-2018-भू-अर्जन

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति"(Consent Land Purchase Policy) के तहत मेंहदी छिन्देवानी मार्ग कि0मी0 03.30 कि0मी0 निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में मेंहदी छिन्देवानी मार्ग कि0मी0 03.30 कि0मी0 निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—:अनुसूची:—

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6	7
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम— मोगरा, प0ह0न0—42 ब0न0—321, रा0नि0म0— लोधीखेडा	1.ओमप्रकाश पिता नारायणदास बागानी निवासी सौंसर	67/2	0.322	मेंहदी छिन्देवानी मार्ग कि0मी0 03. 30 कि0मी0 निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये।
			2.गोविंदा पिता नारायणदास बागानी निवासी सौंसर	67/4	0.109	
			3.नरेश पिता नारायणदास बागानी	67/3	0.040	
			निवासी सौंसर	67/5	0.033	
		कुल योग		4	0.504 हेक्टेयर	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

न्यायालय, उपायुक्त (राजस्व), संभाग शहडोल एवं सक्षम प्राधिकारी मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012, जिला शहडोल (म. प्र.)

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)

शहडोल, दिनांक 7 जुलाई 2020

क्रमांक/10/बी-121/2018-19, अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम सेंदुरी, पटवारी हल्का-सेंदुरी-60, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में वेल क्रमांक SW#01-11 to VB Senduri & SW#01-13 to SW#02-13 के बीच मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	सोहागपुर	सेंदुरी/60	62/1, 62/2, 62/3	0.005
			6	0.109
			5	0.107
			3/2, 3/3, 3/4	0.429
			415/1, 415/2, 415/3, 415/4, 415/5, 415/6, 415/7	0.164
			416	0.408
			387	0.153
			412	0.080

क्रमांक/11/बी-121/2018-19, अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम मैका, पटवारी हल्का-पोंगरी-61, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में वेल क्रमांक SW#01-11 to .V.B. Maika के बीच मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायवक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	सोहागपुर	मैका / 61	49/2, 49/3	0.008
			48	0.005
			47/1 K, 47/1 Kh, 47/2	0.405
			41	0.134
			46	0.005

क्रमांक/09/बी-121/2018-19, अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम पोंगरी, पटवारी हल्का-पोंगरी-61, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में वेल क्रमांक SW#01-13 to SW #02-13 के बीच मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	सोहागपुर	पोंगरी / 61	448/1/1, 448/1/2, 448/1/3, 448/1/4, 448/1/5, 448/1/6, 448/2	0.181
			449/2	0.065
			449/3	0.065
			449/4	0.065
			449/5	0.065

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डी. के. पाण्डेय, सक्षम प्राधिकारी उपायुक्त (राजस्व).

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) ढीमरखेड़ा जिला कटनी

ढीमरखेड़ा, दिनांक 9 जुलाई 2020

क्र. 418-भू.अ.-2020.— राज्य शासन मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास विभाग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 49/भू.अ./2019 तारीख 28 जनवरी 2020 जो मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग-1 में दिनांक 21 फरवरी 2020 में प्रकाशित की गई थी जिसके द्वारा मध्यप्रदेश के कटनी जिले की ढीमरखेड़ा तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाइप लाईन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात् ढंक दी गई) पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिये) भूमि का उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु उस अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अस्थाई अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) अधीन तारीख 3 फरवरी 2020 को एक्सप्रेस न्यूज कटनी 4 फरवरी 2020 को यशभारत कटनी दोनों में प्रकाशित किया गया था ।

और आक्षेप प्राप्त हुये थे, और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है आक्षेपों को अनुज्ञात करा दिया है।

अतः अब राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि

का माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के लिये अस्थाई अर्जन कर लिया जाना चाहिये ।

और अब राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1)(2) एवं (3) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी वित्त्वगमों से रहित उपयोग के अधिकार अस्थाई रूप से यथास्थिति में राज्य शासन में निहित होने के बजाय परियोजना विभाग में निहित निबंधनों तथा शर्तों के अध्याधीन रहते हुये, पाइप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाने का प्रस्ताव करने वाले विभाग में निहित हो जावेंगे ।

अनुसूची-2

कटनी जिले के ढीमरखेड़ा तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

1. ग्राम बांध प.ह.नं. 32 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 61/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.180 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
237	0.003	193	0.001
245	0.002	192	0.002
246	0.001	161	0.004
244	0.001	338	0.001
247/2	0.001	367	0.003
248	0.001	388	0.003
356	0.002	389	0.001
357	0.004	390	0.001
373/1	0.002	406	0.002
373/3	0.002	408	0.002
380/1	0.004	410	0.001

379	0.001	456	0.002
380/2	0.001	351	0.016
429	0.003	354	0.011
434	0.003	356	0.011
435	0.002	359	0.010
436	0.001	360	0.007
338	0.003	361	0.003
323	0.002	362	0.003
209	0.001	341	0.006
207	0.001	340	0.008
206	0.002	338	0.009
205/2	0.001	24	0.015
205/1	0.002	332	0.001
191/2	0.002	331	0.009
		Total	0.180 Ha.

2. ग्राम भैसवाही प.ह.नं. 56 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 62/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.214 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
18	0.006	221	0.001
16	0.017	222	0.010
14	0.019	36	0.002
36	0.001	35	0.001
22	0.014	107	0.003
34	0.007	110	0.001
33	0.004	136	0.003
183	0.006	137	0.003
179	0.007	110	0.002
196	0.007	135	0.003
177	0.007	155	0.10
208	0.007	157	0.006

175	0.006	162	0.004
209	0.011	219	0.002
211	0.008	218	0.001
214	0.003	217	0.002
213	0.013	213	0.001
219	0.008	219	0.001
220	0.005	Total	0.214 Ha.

3. ग्राम भमका प.ह.नं. 30 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 63/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.214 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थायी अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थायी अर्जन हेतु रकबा हे. में
114	0.005	38/1	0.004
109	0.006	38/2	
108	0.005	38/3	
107	0.013	38/4	
106	0.013	34/2	0.009
134	0.010	34/3	
133	0.013	34/4	
156	0.016	34/5	
155	0.006	34/6	
159	0.024	34/7	
170	0.002	34/8	
40/1	0.007	34/9	
40/2		34/10	
40/3		Total	
40/4			
40/5			
40/6			
40/7			

4. ग्राम दिहरी प.ह.नं. 02 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 64/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.179 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
231/41	0.003	301	0.003
231/2		324	0.005
231/3		320	0.015
232/2	0.009	319	0.007
232/3		318	0.002
232/4		317	0.002
232/5		264	0.001
233	0.005	265	0.004
234/1	0.005	268	0.001
234/2		270	0.001
239/1	0.002	277	0.001
239/2		280	0.001
239/3		320	0.002
239/4		324	0.002
239/4		329	0.002
242	0.012	334	0.002
257	0.002	345	0.004
264	0.009	365	0.001
253	0.008	264	0.001
252	0.004	253	0.003
251	0.005	253	0.001
249	0.004	76	0.001
289	0.002	74	0.001
291	0.007	70	0.001
350	0.004	69	0.001
295	0.004	68	0.001
349	0.008	67	0.001
297	0.004	80	0.002
325	0.006	Total	0.179 Ha.

5. ग्राम दियागढ़ प.ह.नं. 31 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 65/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.057 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
5	0.002	30	0.008
46	0.006	40	0.005
45	0.006	58	0.003
19	0.001	60	0.002
20	0.002	62	0.004
21	0.003	64	0.001
22	0.006	30	0.001
29	0.007	88	0.001
		Total	0.057 Ha.

6. ग्राम हरई प.ह.नं. 33 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 66/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.204 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
4	0.001	182	0.003
3	0.006	181	0.003
67	0.003	180	0.001
92	0.002	206	0.002
91	0.001	196	0.001
85	0.001	195	0.001
86	0.001	192	0.001
107	0.002	191	0.001
108	0.003	190	0.001
110	0.002	160	0.002
114	0.006	158	0.001
119	0.003	4	0.005

120	0.002	6	0.019
6	0.001	25	0.044
8	0.003	53	0.003
28/2	0.004	32	0.005
64	0.003	33/1	0.005
63	0.002	34	0.015
62	0.001	44	0.005
76	0.003	43	0.003
1	0.007	42	0.001
4	0.015	40	0.006
		Total	0.204 Ha.

7. ग्राम जामुनचुवा प.ह.नं. 30 तहसील ढीमरखेडा, जिला कटनी

प्र.क्र. 67/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.027 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
7	0.001	25	0.001
8	0.005	26	0.001
9	0.003	36	0.002
10	0.004	47	0.002
16	0.001	46	0.002
24	0.003	50	0.001
		Total	0.027 Ha.

8. ग्राम जिर्सी प.ह.नं. 29 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 68/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.237 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
359	0.001	354	0.008
357	0.003	232/7	0.001
358	0.011	232/6	0.001
355	0.007	232/5	0.001
232/4	0.001	368/2	0.003
234	0.002	374	0.003
185	0.008	373	0.002
180	0.007	378	0.004
179	0.001	242	0.001
177	0.007	241	0.003
240	0.003	239	0.004
242	0.011	237	0.002
302	0.003	238	0.006
303	0.003	246	0.004
301	0.003	347	0.003
304	0.002	348	0.001
300	0.002	345	0.003
299	0.004	294/3	0.001
275	0.003	394/4	0.001
276	0.003	394/5	0.001
298	0.004	394/6	0.001
307	0.004	394/7	0.001
295	0.002	394/8	0.001
308	0.008	395/1	0.003
311	0.003	365	0.002
329	0.005	242	0.003
328	0.004	243	0.002
341	0.001	244	0.003
340	0.002	245	0.004

342	0.003	248	0.003
343	0.001	261	0.001
338	0.005	276	0.002
412	0.005	266	0.005
413	0.008	434	0.001
423	0.004	47	0.003
417	0.001	46	0.001
418	0.004	33	0.001
358	0.004	Total	0.237 Ha.

9. ग्राम झिन्ना प.ह.नं. 31 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 69/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.275 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
21	0.016	173	0.007
27	0.002	172	0.001
22	0.002	258/2	0.003
26	0.005	166	0.002
4	0.003	167	0.002
5	0.002	268/1	0.002
7	0.005	285	0.001
77	0.001	292	0.002
77	0.003	290	0.001
82	0.001	458	0.003
81	0.002	482	0.006
85	0.001	545	0.005
90	0.001	544	0.002
91	0.002	527	0.004
96	0.004	527	0.001
95	0.002	541	0.003
119	0.002	542	0.004
121	0.001	552	0.003

130	0.007	553	0.003
138	0.003	256	0.004
139	0.005	261	0.004
143	0.004	265	0.001
145/3	0.001	566	0.004
145/2	0.001	572	0.006
145/1	0.002	597	0.006
168	0.005	601	0.003
169	0.002	454	0.006
170	0.002	453	0.003
174	0.002	456	0.003
458	0.008	528	0.003
480	0.005	694	0.008
479	0.005	458	0.003
475	0.004	448	0.003
472	0.006	447	0.002
471	0.008	487	0.002
576	0.002	439	0.004
578	0.003	490	0.001
618	0.006	438	0.001
620/2	0.005	438	0.001
626	0.003	491	0.003
527	0.003	Total	0.275 Ha.

10. ग्राम केवलारी प.ह.नं. 31 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 70/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.369 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
23	0.023	138	0.007
27	0.025	139	0.011
27	0.004	142	0.010
28	0.019	148	0.008

30	0.005	145	0.013
29	0.010	146	0.003
109	0.027	138	0.018
120	0.017	83	0.006
124	0.018	82	0.006
130	0.009	81	0.015
129	0.007	61	0.013
134	0.014	138	0.001
136	0.020	163	0.004
137	0.007	164	0.004
138	0.004	165	0.005
175	0.004	220	0.003
178	0.001	269	0.004
177	0.002	271	0.002
176	0.001	272	0.003
217	0.002	274	0.002
221	0.002	275	0.002
		Total	0.369

11. ग्राम खिरहनी प.ह.नं. 68 तहसील डीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 71/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.048 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
213	0.002	73	0.001
82/4	0.002	94/4	0.001
84	0.004	94/5	0.002
84	0.002	94/6	0.002
85	0.001	213	0.010
75/6	0.002	212/2	0.004
75/5	0.000	210	0.003
75/2	0.004	212/1	0.006
76/3	0.003	Total	0.048 Ha.

12. ग्राम मारसिहुड़ी प.ह.नं. 68 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 72/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.198 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
28	0.011	24	0.002
29/2	0.047	25	0.002
71	0.018	20	0.003
71	0.004	19	0.002
22	0.001	29/7	0.029
29/3	0.010	29	0.009
44	0.009	71	0.010
46	0.010	74	0.002
52	0.008	73	0.003
38	0.001	88	0.010
	0.005	101	0.004
		Total	0.198 Ha.

13. ग्राम मेर प.ह.नं. 69 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 73/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.133 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
68	0.006	112	00.002
69	0.001	113	0.001
141	0.006	158	0.004
71	0.004	159	0.003
138	0.002	157	0.002
128	0.009	160	0.005
85	0.002	161	0.006
86	0.003	162	0.007
87	0.005	187	0.004

88	0.003	224	0.008
90	0.002	233	0.002
91	0.003	238	0.003
48	0.008	239	0.001
33	0.001	240	0.001
36	0.002	241	0.001
35	0.001	244	0.002
128	0.002	298	0.001
126	0.003	299	0.001
111	0.001	296	0.006
120	0.002	290	0.004
321	0.005	Total	0.133 Ha.

14. ग्राम मूड़ीखेड़ा प.ह.नं. 64 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 74/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.003 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
14	0.003		
Total	0.003		

15. ग्राम नाथूखेड़ा प.ह.नं. 30 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 75/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.048 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
84	0.005	61	0.003
83	0.001	60	0.003
85	0.003	59	0.002
70	0.001	58	0.002
69	0.003	57	0.002

66	0.004	55	0.002
64	0.002	54	0.001
63	0.004	125	0.002
62	0.004	126	0.003
		Total	0.048 Ha.

16. ग्राम पहरूवा प.ह.नं. 69 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 76/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.293 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
308	0.008	154	0.003
312	0.007	60	0.005
311	0.002	53	0.003
313	0.005	41	0.003
315	0.007	44	0.001
435	0.003	43	0.002
435	0.006	33	0.002
439	0.001	30	0.002
441	0.004	24	0.003
440	0.005	25	0.001
510	0.002	21	0.001
506	0.001	19	0.002
509	0.004	7	0.001
507	0.003	6	0.001
534/1	0.004	4	0.001
533	0.006	768	0.001
532	0.004	769	0.002
530	0.004	770	0.005
529	0.006	772	0.006
214	0.001	754	0.012
203	0.003	743	0.006
201	0.002	736	0.014

199	0.004	730	0.004
197	0.001	731	0.001
uk	0.001	716	0.010
341/775	0.005	717	0.005
158/777	0.002	709	0.006
157	0.006	659	0.011
156	0.004	651	0.018
135	0.011	107	0.004
133	0.002	106	0.004
133	0.004	96	0.004
128	0.005	96	0.001
121	0.001	95	0.002
120	0.006	94	0.002
116	0.007	92	0.004
		Total	0.293 Ha.

17. ग्राम पटना प.ह.नं. 30 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 77/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.427 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
137	0.022	211	0.011
141	0.011	212	0.006
142	0.013	215	0.004
144	0.020	214	0.010
145	0.020	231	0.015
177/2732	0.008	230	0.019
177	0.012	237	0.005
194	0.005	229	0.008
193	0.001	121	0.019
195	0.002	98	0.006
192	0.005	100	0.013
191	0.006	177/272	0.002

198	0.007	176	0.006
199	0.007	178	0.006
200	0.012	174	0.003
203	0.014	168	0.010
205/274	0.020	169	0.001
206	0.004	71	0.002
205	0.015	77	0.006
77	0.006	24	0.009
41	0.005	2	0.002
42	0.003	42	0.005
36	0.007	35	0.002
18	0.007	36	0.005
20	0.003	31/273	0.008
22	0.007	31	0.005
25	0.001	32	0.002
24	0.002	2	0.001
		Total	0.427 Ha.

18. ग्राम पिपरिया प.ह.नं. 31 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 78/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.311 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
24	0.015	381	0.003
38	0.011	392	0.007
39	0.006	437	0.003
41	0.020	436	0.005
41	0.001	440	0.004
40	0.006	447	0.006
70	0.008	448	0.005
46	0.010	449	0.004
47	0.010	472	0.005
48	0.008	493	0.005

327	0.007	494	0.007
328	0.007	495	0.003
341	0.007	551	0.004
325	0.08	555	0.004
324	0.006	556	0.002
321	0.011	570	0.005
376	0.004	568	0.005
618	0.004	354	0.004
616	0.003	355	0.003
436	0.008	358	0.002
565	0.001	508	0.004
341	0.003	507	0.006
339	0.003	522	0.005
338	0.007	521	0.002
337	0.003	520	0.006
335	0.003	587	0.008
333	0.003	341	0.001
350	0.002	329	0.008
351	0.002	Total	0.311 Ha.

19. ग्राम रोझन प.ह.नं. 30 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 79/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.211 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
93	0.006	206	0.001
92	0.011	205	0.004
184	0.033	217	0.002
217/1	0.002	221	0.004
217/2	0.005	222	0.003
206	0.010	213/2	0.005
207	0.015	229/2	0.002
194	0.003	252	0.003

193	0.014	193	0.001
252	0.011	248	0.007
251/4	0.019	239	0.004
251/5		111	0.001
256	0.009	116	0.006
258	0.004	303	0.003
258	0.011	120	0.004
124	0.007	105	0.001
126	0.002	104	0.004
127	0.001	77	0.001
16	0.002	258	0.001
		Total	0.222 Ha.

20. ग्राम सलैया प.ह.नं. 71 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 80/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.122 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
49	0.005	193	0.002
452	0.006	123	0.003
450	0.002	124	0.001
440/525	0.006	125	0.002
444	0.028	126	0.001
408	0.014	127	0.001
421/501	0.007	128	0.001
421	0.009	421	0.002
420	0.007	422	0.003
420/513	0.002	337	0.003
420/3	0.002	335	0.003
341	0.007	334	0.002
193/516	0.002	333	0.002
		Total	0.122 Ha.

21. ग्राम सिंघनपुरी प.ह.नं. 68 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 81/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.295 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
4	0.045	276	0.002
29	0.010	272	0.008
57	0.011	270	0.003
56	0.005	265	0.001
63	0.007	264	0.001
58	0.001	263	0.001
60	0.001	262	0.001
62	0.003	261	0.001
61	0.008	253	0.005
88	0.004	222	0.001
87	0.005	223	0.001
89	0.010	4	0.007
92	0.004	15	0.003
94	0.003	17	0.002
96	0.006	13	0.003
102	0.015	18	0.002
299	0.011	159/1	0.001
311	0.001	159/2	0.003
311	0.002	160	0.003
312	0.004	167	0.002
317	0.003	146	0.001
310	0.006	144	0.001
309	0.004	178	0.001
308	0.004	180	0.001
307	0.003	182	0.001
284	0.004	188	0.002
285	0.005	189	0.002
286	0.002	190	0.002
277	0.002	40	0.002

41	0.001	58	0.003
47	0.001	59	0.003
311	0.001	57	0.002
312	0.002	82	0.007
315	0.003	58	0.002
323	0.002	57	0.009
322	0.008	Total	0.295 Ha.

22. ग्राम तिलमन प.ह.नं. 61 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 82/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.321 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
22	0.005	316	0.001
13	0.002	317	0.001
14	0.001	149	0.002
33	0.002	148	0.001
32	0.004	151	0.003
31	0.010	152	0.001
76	0.002	292	0.002
414	0.002	288	0.001
400	0.003	289	0.003
401	0.001	282	0.001
388	0.003	140	0.002
391	0.001	104	0.003
61	0.001	106	0.003
303	0.002	107	0.002
307	0.001	111	0.001
308	0.001	187	0.001
309	0.001	186	0.003
311	0.002	185	0.002
313	0.002	176	0.002
315	0.001	178	0.002

179	0.004	59	0.006
212	0.003	61	0.007
215	0.001	62	0.017
216	0.002	145	0.012
217	0.002	144	0.004
239	0.002	149	0.007
237	0.001	150	0.004
127	0.001	142	0.005
187	0.001	141	0.009
550	0.002	140	0.013
546	0.006	162	0.015
412	0.007	138	0.011
414	0.019	136	0.011
409	0.004	135	0.002
408	0.003	187	0.005
407	0.006	188	0.005
404	0.001	190	0.016
406	0.005	195	0.007
405	0.005	194	0.010
304	0.001	Total	0.321 Ha.

23. ग्राम बिजौरी प.ह.नं. 62 तहसील ढीमरखेडा, जिला कटनी

प्र.क्र. 83/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.081 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
9	0.013	36	0.002
7	0.002	58	0.004
8	0.003	59	0.002
4	0.002	74	0.001
18	0.005	198	0.002
19	0.004	200	0.003
17	0.001	201	0.003

26	0.004	190	0.003
25	0.005	202	0.001
24	0.007	186	0.002
30	0.002	185	0.001
31	0.005	183	0.001
37	0.002	182	0.001
		Total	0.081 Ha.

2. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डीमरखेड़ा जिला कटनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

कलेक्टर कटनी एवं पदेन उपसचिव म.प्र. शासन, के अधिसूचना क्र. 9965/प्र.वा.
दिनांक 17 अक्टूबर 2019 द्वारा प्राधिकृत

ढीमरखेड़ा, दिनांक 10 जुलाई 2020

क्र. 421-भू.अ.-2020.—राज्य शासन मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास विभाग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 63/भू.अ./2019 तारीख 5 फरवरी 2020 जो मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग-1 में दिनांक 29 नवम्बर 2019 में प्रकाशित की गई थी जिसके द्वारा मध्यप्रदेश के कटनी जिले की ढीमरखेड़ा तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाइप लाईन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात् ढंक दी गई) पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिये) भूमि का उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु उस अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अस्थाई अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) अधीन तारीख 15 फरवरी 2020 को एक्सप्रेस न्यूज कटनी में प्रकाशित किया गया था ।

और आक्षेप प्राप्त हुये थे, और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है आक्षेपों को अनुज्ञात करा दिया है ।

अतः अब राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि

का माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के लिये अस्थाई अर्जन कर लिया जाना चाहिये ।

और अब राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1)(2) एवं (3) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लगमों से रहित उपयोग के अधिकार अस्थाई रूप से यथास्थिति में राज्य शासन में निहित होने के बजाय परियोजना विभाग में निहित निबंधनों तथा शर्तों के अध्याधीन रहते हुये, पाइप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाने का प्रस्ताव करने वाले विभाग में निहित हो जावेंगे ।

अनुसूची-2

कटनी जिले के ढीमरखेड़ा तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

1. ग्राम सागवां प.ह.नं. 28 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 84/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.101 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
308/310	0.019	266	0.004
299	0.005	268	0.002
289	0.003	263	0.002
345	0.002	261	0.002
278	0.001	245	0.002
249	0.001	106	0.001
250	0.003	105	0.000
225	0.003	103	0.001
223	0.003	104	0.003
194	0.002	88	0.003
198	0.003	69	0.001

199	0.002	68	0.001
175	0.002	67	0.001
174	0.002	61	0.002
160	0.001	47	0.001
158	0.001	345	0.010
159	0.001	348	0.001
101	0.001	353	0.007
		Total	0.101 Ha.

2. ग्राम पड़रिया प.ह.नं. 35 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 85/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.018 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
88	0.001	163/2	0.001
164	0.004	163/3	0.001
166	0.003	167	0.001
167	0.001	172	0.003
174	0.001	171	0.001
166	0.002	Total	0.018 Ha.

3. ग्राम ढीमरखेड़ा प.ह.नं. 36 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 86/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.699 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
247	0.010	719	0.015
245	0.010	817	0.012
254	0.003	528	0.007
262	0.015	827	0.003
267	0.016	838	0.008
268	0.005	844	0.009

269	0.009	845	0.004
270	0.011	262	0.007
273	0.003	463	0.004
274	0.016	465	0.001
275	0.012	466	0.002
447	0.013	467	0.001
449	0.002	478	0.001
448	0.009	479	0.001
445	0.018	480	0.001
444	0.009	488	0.002
443	0.016	489	0.002
442	0.023	490	0.002
753	0.002	262	0.002
576	0.014	243	0.003
733	0.013	242	0.010
736	0.007	240	0.001
730	0.001	178	0.011
729	0.012	177	0.008
728	0.003	184/1	0.001
723	0.015	184/2	0.007
710	0.003	165	0.004
721	0.011	164	0.004
720	0.004	159	0.010
160	0.013	579	0.002
121	0.007	580	0.004
120	0.008	583	0.001
59	0.009	584	0.001
58	0.007	590	0.003
60	0.001	597	0.005
64	0.015	603	0.003
68/2	0.002	602	0.003
184/2	0.001	619	0.006
177	0.001	621	0.001
165	0.002	624	0.001
166	0.002	602	0.001
109	0.004	604	0.002
184/2	0.002	612	0.001
187	0.002	611	0.003
188	0.003	443	0.001
191	0.003	442	0.004
205	0.003	755	0.002
147	0.001	758	0.001
206/2	0.001	763	0.001
60	0.001	762	0.003
58	0.002	723	0.001
52	0.005	710	0.002

51	0.009	711	0.002
447	0.002	713	0.003
446	0.001	706	0.001
277	0.001	687	0.001
278	0.002	691	0.004
230	0.0005	683	0.003
279	0.002	682	0.003
280	0.002	719	0.001
306	0.001	817	0.002
443	0.004	815	0.003
575	0.005	809	0.004
814	0.003	911/2	0.001
813/2	0.001	913/1	0.001
852	0.003	935	0.001
853	0.001	936	0.003
854	0.001	937/1	0.002
855	0.001	938	0.001
856	0.001	929	0.011
891	0.002	933	0.011
859	0.002	935	0.003
889	0.003	936	0.006
909	0.001	937/1	0.004
910	0.002	938	0.004
911/3	0.002	Total	0.699 Ha.

4. ग्राम बिहरिया प.ह.नं. 37 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 87/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.230 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
418	0.014	492	0.004
422	0.009	493	0.005
427/6	0.015	26	0.001
495	0.007	154	0.006
490	0.014	159	0.002
489	0.008	158	0.003
487	0.006	173	0.003
488	0.01	174	0.003
485	0.010	175	0.001

483	0.021	130	0.002
464	0.007	129	0.003
466	0.023	127	0.002
465	0.007	185	0.002
490	0.002	112	0.002
111	0.004	60	0.001
70/505	0.003	57	0.004
70	0.003	56	0.002
71	0.004	389	0.005
61	0.006	87	0.002
		Total	0.230 Ha.

5. ग्राम सिमरिया प.ह.नं. 38 तहसील दीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 88/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.558 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
351	0.015	485	0.002
350	0.014	486	0.004
349	0.013	490	0.014
348	0.014	487	0.016
344	0.015	489	0.004
343	0.012	351	0.011
114	0.024	353	0.002
341	0.016	355	0.002
337	0.012	356	0.002
336	0.026	357	0.002
392	0.021	358	0.002
391/1	0.010	359	0.002
393	0.022	364	0.007
429	0.016	358	0.001
428	0.016	368	0.003
470	0.014	369	0.003

472	0.016	374	0.002
471	0.006	375	0.004
484	0.011	351	0.002
483	0.007	72	0.005
482	0.004	73	0.005
75	0.003	436	0.011
76	0.020	462	0.004
77	0.002	499	0.002
83	0.002	500	0.002
66	0.001	393	0.002
65	0.002	394	0.002
8/5	0.001	398	0.001
8/6	0.001	399	0.001
8/3	0.001	400	0.004
77	0.003	401	0.001
82	0.001	402	0.001
81	0.003	470	0.006
87	0.001	469	0.003
86	0.002	492	0.004
85	0.002	494	0.013
18	0.002	508	0.011
77	0.002	517	0.006
80	0.003	524	0.004
78	0.002	470	0.002
98	0.002	427	0.002
127/1	0.003	425	0.002
127/2	0.001	407	0.003
129	0.002	408	0.001
393	0.001	409	0.001
431/2	0.002	411	0.003
431/3	0.002	311	0.001
431/1	0.002	Total	0.558 Ha.

6. ग्राम सिंघनतलाई प.ह.नं. 38 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 89/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.043 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
9	0.002	42	0.002
10	0.002	40	0.004
82	0.003	190	0.001
81	0.002	201	0.002
93	0.004	200	0.002
94	0.001	214	0.003
26	0.002	215	0.003
27	0.002	218	0.001
44	0.002	227	0.002
		Total	0.043 Ha.

7. ग्राम पिंडरई प.ह.नं. 34 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 90/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.517 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
112	0.017	129	0.001
114	0.015	788	0.005
108	0.004	787	0.007
118	0.011	789	0.003
119	0.001	795	0.008
120	0.008	797	0.013
134	0.008	806	0.011
133	0.007	800	0.012
133	0.005	144	0.006
132	0.004	143	0.006
131	0.001	151	0.003
130	0.007	149	0.008

148	0.003	170	0.004
785	0.006	237	0.002
784	0.008	236	0.001
841	0.013	235	0.002
842	0.011	298	0.002
843	0.004	219	0.002
881	0.004	300	0.002
880	0.002	301	0.001
883	0.015	306	0.001
906	0.010	308	0.001
907	0.013	317	0.001
909	0.004	316	0.002
910	0.007	314	0.002
911	0.012	368	0.001
912	0.006	369	0.001
937	0.006	370	0.001
938	0.002	371	0.001
978	0.020	378	0.001
991	0.028	377	0.002
992	0.012	376	0.002
111	0.001	411	0.004
112	0.004	410	0.001
101	0.002	409	0.001
96	0.002	408	0.001
97	0.003	437	0.002
92	0.001	436	0.001
69	0.001	937	0.001
70	0.002	938	0.001
72	0.001	936	0.002
58	0.001	935	0.002
57	0.001	923	0.001
842	0.001	924	0.001
781	0.005	869	0.001
780	0.002	864	0.001
937	0.001	1068	0.002
940	0.009	1067	0.002
975	0.004	710	0.001
971	0.002	708	0.001

972	0.001	714	0.001
973	0.004	674	0.002
963	0.002	672	0.001
964	0.002	971	0.001
952	0.001	970	0.001
950	0.003	969	0.0011
949	0.001	941	0.001
948	0.002	942	0.003
1046/1148	0.002	893	0.001
1046	0.002	892	0.001
1050	0.003	1009	0.005
1069	0.003	1011	0.004
1070	0.001	112	0.004
1071	0.001	113	0.004
1068	0.001	116	0.001
		Total	0.517 Ha.

8. ग्राम झारापानी प.ह.नं. 57 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 91/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.078 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
136	0.010	63	0.002
135	0.016	3/2	0.011
120	0.004	47/3	0.001
118	0.001	47/2	0.002
119	0.004	3/5	0.005
75/5	0.006	49	0.001
70	0.002	3/6	0.002
46	0.004	115	0.003
42/4	0.002	114	0.001
42/3	0.002	112	0.003
42/1	0.002	110	0.002
42/2	0.001	142	0.003
23	0.003	143	0.001
		Total	0.078 Ha.

9. ग्राम कचनारी प.ह.नं. 58 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 92/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.118 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
6/12	0.004	6/5	0.004
6/25	0.003	6/7	0.004
6/12	0.005	6/8	0.006
6/15	0.008	3/1	0.007
6/11	0.011	20/3	0.002
6/18	0.007	20	0.005
6/21	0.011	24/4	0.002
13	0.010	6/25	0.001
6/25	0.005	6/15	0.001
6/14	0.005	6/1	0.013
6/6	0.003	6/15	0.001
		Total	0.118 Ha.

2. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) ढीमरखेड़ा जिला कटनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

कलेक्टर कटनी एवं पदेन उपसचिव म.प्र. शासन, के अधिसूचना क्र. 9965/प्र.वा. दिनांक 17 अक्टूबर 2019 द्वारा प्राधिकृत

क्र. 424-भू.अ.-2020.—राज्य शासन मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास विभाग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 176/भू.अ. तारीख 7 मार्च 2020 जो मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग-1 में दिनांक 1 मई 2020 में प्रकाशित की गई थी जिसके द्वारा मध्यप्रदेश के कटनी जिले की ढीमरखेड़ा तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाइप लाईन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात् ढंक दी गई) पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिये) भूमि का उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु उस अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अस्थाई अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) अधीन तारीख 14 मार्च 2020 को एक्सप्रेस न्यूज कटनी में प्रकाशित किया गया था ।

और आक्षेप प्राप्त हुये थे, और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है आक्षेपों को अनुज्ञात करा दिया है।

अतः अब राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि

का माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के लिये अस्थाई अर्जन कर लिया जाना चाहिये ।

और अब राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1)(2) एवं (3) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लगमों से रहित उपयोग के अधिकार अस्थाई रूप से यथास्थिति में राज्य शासन में निहित होने के बजाय परियोजना विभाग में निहित निबंधनों तथा शर्तों के अध्याधीन रहते हुये, पाइप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाने का प्रस्ताव करने वाले विभाग में निहित हो जावेंगे ।

अनुसूची-2

कटनी जिले के ढीमरखेड़ा तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

1. ग्राम पाली प.ह.नं. 57 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 93/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.239 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
6	0.006	22	0.003
55	0.007	126	0.005
64	0.004	127	0.005
50	0.018	129	0.006
49	0.003	130	0.008
43	0.006	137	0.005
40	0.003	136	0.002
44	0.006	135	0.007
31	0.004	172	0.005
32	0.005	255/1	0.006
33	0.002	255/2	0.003

256	0.001	104	0.005
253	0.002	118	0.006
252	0.004	149	0.006
249	0.008	161	0.001
243	0.008	162	0.008
	0.007	166	0.007
6	0.001	179	0.003
55	0.002	178	0.001
57	0.004	232	0.001
61	0.003	177	0.001
76	0.006	248	0.001
84	0.002	118	0.002
85	0.003	150	0.003
86	0.006	159	0.002
98	0.005	185	0.001
103	0.004	Total	0.239 Ha.

2. ग्राम मझगवां प.ह.नं. 62 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 94/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.154 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
125	0.012	39	0.002
124	0.0012	38	0.001
131	0.019	137	0.005
134	0.011	148	0.011
119	0.001	137	0.006
136	0.003	148	0.002
51	0.003	149	0.006
52	0.001	150	0.005
53	0.002	63	0.001
21	0.003	64	0.004
56	0.002	65	0.003

76	0.002	82	0.001
73	0.001	83	0.004
85	0.003	26	0.003
29	0.003	25	0.002
30	0.004	24	0.001
75	0.001	23	0.001
76	0.002	12	0.007
81	0.003	Total	0.154 Ha.

3. ग्राम खमतारा प.ह.नं. 70 तहसील दीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 95/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.447 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
125/1081	0.001	232	0.002
125	0.009	234	0.004
187	0.006	423	0.004
185	0.011	430	0.004
184	0.001	438	0.002
183	0.005	404	0.002
181	0.003	403	0.002
180	0.004	469	0.002
179	0.007	315	0.001
178	0.002	317	0.002
221	0.007	183	0.001
447	0.007	182	0.003
447	0.004	173	0.005
450	0.004	152	0.005
444	0.004	158	0.003
443	0.005	157	0.001
441	0.003	156	0.004
455	0.001	155	0.001
231	0.003	154	0.005

183	0.002	50/1	0.004
136	0.003	51/1	0.008
138	0.002	48/4	0.030
139	0.003	118	0.001
140	0.001	117	0.005
40	0.001	126	0.006
39	0.001	125/1021	0.012
269	0.003	190	0.012
270	0.002	206	0.004
279	0.001	207	0.006
961	0.003	571/1	0.014
960	0.001	570	0.004
959	0.004	563	0.002
878	0.001	564	0.004
969	0.002	547	0.014
970	0.002	517	0.005
981	0.002	520/1	0.005
382	0.003	921/1	0.004
852	0.002	965/1	0.007
848	0.004	964/4	0.005
843	0.004	966/2	0.009
831	0.005	968	0.007
818	0.004	969/4	0.012
819	0.002	988	0.008
57/2	0.002	992	0.001
56	0.042	53/1	0.013
55	0.003	Total	0.447 Ha.

4. ग्राम देवरी मारवाड़ी प.ह.नं. 68 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
 प्र.क्र. 96/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.222 हे. निजी भूमि

6

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
152	0.007	121	0.001
153	0.009	125	0.001
158	0.003	124	0.004
162/1	0.009	119	0.004
163	0.005	112	0.0010.001
164	0.006	113	0.007
165	0.006	101	0.005
167	0.005	102/1 102/2	0.004
173	0.004	98	0.004
174	0.004	89	0.004
175	0.002	90	0.002
176	0.002	91	0.002
456	0.007	92	0.005
162	0.003	75/1-4	0.005
189	0.001	74	0.005
155	0.001	74	0.001
191	0.006	89	0.001
192	0.004	84/2	0.003
132	0.005	82/1-2	0.002
134	0.004	83	0.002
136	0.002	268	0.001
137	0.003	88	0.002
138	0.003	99	0.002
139	0.003	258	0.002
126	0.005	256	0.002
125	0.003	255	0.002
124	0.001	252	0.003
123	0.005	173	0.001

174	0.002	442	0.002
177	0.001	435	0.003
455	0.001	471	0.003
453	0.002	469	0.002
452	0.002	467	0.001
449	0.002	464	0.002
448	0.001	460	0.001
447	0.001	173	0.002
443	0.002	Total	0.222

5. ग्राम कटरा प.ह.नं. 29 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 97/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.522 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
629	0.007	564/1	0.017
630	0.008	564/2	0.010
632	0.010	551/1	0.016
620	0.008	508	0.006
633/1	0.005	509/2	0.006
616	0.005	510	0.021
615	0.006	502	0.013
612	0.001	482/1	0.012
610	0.003	431	0.004
611	0.008	432	0.003
606	0.016	433	0.003
608	0.005	470	0.001
607	0.002	440	0.019
585	0.003	441	0.003
584	0.003	382	0.007
583/1	0.017	383	0.014
583/2	0.016	312/1	0.002
583/3	0.005	347	0.006

343	0.011	53	0.002
273	0.011	52	0.001
277	0.013	51	0.001
282	0.006	383	0.001
252	0.004	385	0.003
253	0.013	384	0.001
267	0.017	236	0.002
508	0.003	235	0.004
549	0.002	238	0.001
548	0.001	230	0.001
546	0.002	229	0.001
545	0.002	367	0.001
540	0.002	389	0.001
542	0.001	190	0.001
540	0.003	191	0.001
536	0.001	192	0.001
502	0.003	26	0.001
478	0.001	27	0.001
503	0.003	21	0.001
144	0.003	20	0.001
80	0.003	19	0.001
82	0.002	277	0.011
97	0.001	282	0.004
96	0.002	283	0.004
95	0.002	285/1	0.007
	0.001	298	0.009
102	0.003	297	0.006
383	0.001	293	0.008
377	0.003	316	0.006

176	0.001	564/1	0.002
175	0.002	565/1	0.001
181	0.001	566	0.002
65	0.002	606	0.004
68	0.002	588	0.003
598	0.005	Total	0.522 Ha.

6. ग्राम ठिरी प.ह.नं. 37 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 98/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.541 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
121	0.016	354	0.011
160	0.012	355	0.007
158	0.010	355	0.005
159	0.006	356	0.004
158	0.005	357	0.004
156	0.005	358	0.008
165	0.015	452	0.008
152	0.007	453	0.002
166	0.001	683	0.001
150	0.001	687	0.008
142	0.005	688	0.018
141	0.005	675	0.022
312	0.011	672	0.022
310	0.008	667	0.006
308/2	0.003	666	0.004
308/2	0.002	665	0.005
308/3	0.008	664	0.003
308/5	0.003	663/1	0.003
308/4	0.009	609	0.005
305	0.002	662	0.006

659	0.010	187	0.001
658	0.003	189	0.003
160	0.001	207	0.001
121	0.002	209/1	0.002
120/3	0.004	209/2	0.003
116/1	0.002	211	0.004
116/2	0.001	485	0.006
117	0.001	658	0.002
108	0.002	657	0.002
106	0.001	757	0.002
109	0.001	756/2	0.001
107	0.001	758	0.002
66	0.001	762	0.001
65	0.002	761/2	0.001
70	0.001	761/1	0.003
64/2	0.001	742	0.001
308/2	0.010	733	0.001
297	0.001	731	0.002
298	0.010	729	0.001
288	0.002	721	0.002
287	0.001	762	0.001
279	0.012	763	0.001
277	0.004	650	0.002
243	0.005	649	0.002
244	0.007	644	0.004
234	0.004	637	0.001
233221	0.007	636	0.003
219	0.008	635	0.002
207	0.012	617	0.004
205	0.007	552	0.004
195	0.007	551	0.002
192	0.008	550	0.001
207	0.007	541	0.005
206/1	0.001	542	0.002

543	0.002	516	0.003
544	0.004	511	0.002
513	0.003	510	0.001
514	0.005	Total	541 Ha.

7. ग्राम सैलारपुर प.ह.नं. 04 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 99/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.060 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
138	0.003	240	0.006
139	0.005	242	0.006
151	0.004	256	0.006
150	0.005	254	0.008
149	0.003	87	0.001
147	0.003	85/1	0.004
219	0.003	274/2	0.002
218	0.001	277	0.004
217	0.001	278	0.003
		Total	0.060 Ha.

8. ग्राम बनहरा प.ह.नं. 23 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 100/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.326 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
59	0.025	61/1	0.001
84	0.008	55	0.003
84	0.011	52	0.002
81	0.014	53	0.001
79/3	0.024	43/1	0.001
77	0.012	43/3	0.002
101	0.009	43/2	0.002
73	0.033	44	0.002
71	0.004	45	0.003
71	0.010	26	0.001
106	0.011	23	0.002
122	0.036	79/3	0.003
147	0.001	82	0.001
152	0.019	87/3	0.002
168	0.009	71	0.001
167	0.003	73/2	0.001
167	0.001	68	0.001
169	0.024	33	0.007
80/2	0.002	106	0.007
60	0.002	30	0.015
61/2	0.002	30	0.013
		Total	0.326 Ha.

9. ग्राम बनहरी प.ह.नं. 23 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 101/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.197 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
156	0.015	72/3	0.001
157	0.004	71	0.003
152	0.019	73/1	0.001
153	0.001	70/1	0.002
147	0.005	68	0.002
150	0.005	49	0.002
149	0.009	46/1	0.001
220	0.006	45	0.001
127	0.003	453	0.001
126	0.016	152	0.001
226	0.011	151/2	0.001
122	0.006	158/1-2	0.001
121	0.011	159/1-3	0.003
120	0.004	162	0.001
230	0.004	163	0.001
118/2	0.004	186	0.001
117	0.008	185	0.001
232/1	0.009	188	0.001
116	0.003	120	0.001
35/2	0.013	121/1-3	0.002
153	0.001	229	0.001
145	0.001	228	0.002
146	0.002	239	0.001
137	0.001	273	0.001
136	0.001	274	0.001
135	0.002	272/1-2	0.001
		Total	0.197 Ha.

2. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) ढीमरखेड़ा जिला कटनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

कलेक्टर कटनी एवं पदेन उपसचिव म.प्र. शासन, के अधिसूचना क्र. 9965/प्र.वा. दिनांक 17 अक्टूबर 2019 द्वारा प्राधिकृत

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सपना त्रिपाठी, सक्षम प्राधिकारी (मा.उ.) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)..

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 10 जुलाई 2020

क्र. B-2454-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री यशपाल सिंह, उप संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 28 जून 2018 से 27 जून 2020 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 9 जुलाई 2020

क्र. D-2567-दो-2-25-2015.—श्री ए. के. भाटिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रतलाम को दिनांक 23 मार्च से 3 अप्रैल 2020 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार भाटिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार भाटिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2569-दो-2-13-2019.—श्री अखिलेश शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नीमच को दिनांक 6 से 11 जुलाई 2020 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 जुलाई 2020 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 जुलाई 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2571-दो-2-53-2014.—श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 14 जुलाई 2020

क्र. A-1602-दो-2-121-2017.—श्री जी. पी. अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 16 जुलाई 2020

क्र. A-1630-दो-2-17-2016.—श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2017 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. A-1632-दो-2-17-2016.—श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. A-1634-दो-2-15-2020.—श्री विजय कुमार पाण्डेय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को दिनांक 20 से 25 जुलाई 2020 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 जुलाई 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री विजय कुमार पाण्डेय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजय कुमार पाण्डेय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-2539-दो-2-62-2014.—श्री एल. डी. बौरासी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को दिनांक 4 जून से 3 जुलाई 2020 तक, उन्तीस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 एवं 5 जुलाई 2020 के

सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एल. डी. बौरासी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एल. डी. बौरासी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.